13/12/23 पत्रावली पेशा। वकील वादी उप०।
वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 उप०।
प्रा. पत्र 07R11 CPC सपठित धारा 151
CPC पर दोनो अधिवक्तागण की बहस
सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली
दिनांक 15/12/2023 को पेश हो।

Purinka

15/12/23 पत्रावली पेश। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन

Number of Case ..... Year .....

Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief

किया गया। प्रतिवादी सं 02,03 की ओर से प्रा. पत्र अंतर्गत 07 R11 पेश किया गया। मुताबिक बहस अधि. प्रतिवादी सं 02,03 - "वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है, अतः वह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने हेतु हकदार नहीं है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में जो. वि. प्रा. की खातेदारी में दर्ज सुदा है और इस भूमि का राज. भू- राजस्व अधि, 1956 की धारा 90(क) के तहत गैर - कृषिक प्रयोजनार्थ रूपांतरण दिनांक 31.08.2022 को हो गया है। अतः राजस्व न्यायालय को वाद सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के आवासीय पट्टे जारी किये जा चुके हैं। अतः पट्टाधारकों को भी पक्षकार के रूप में संयोजित किया जावे। वादी द्वारा अपने हक में क्लेम की गई भूमि राज्य सरकार द्वारा आम सड़क प्रयोजनार्थ अधिग्रहीत कर ली गई थी और इसका मुआवजा भी वादी को जरिए चैक अदा कर दिया गया था, अतः वाद वादी खारिज फरमाया जावे।"

मुताबिक बहस अधि. वादी -

"प्रति. सं. 01 ने वादी को वादग्रस्त भूखंड का बेचान जरिए मंजीबद्ध बैयनामा किया। उक्त भूखंड का नाप फुट व वर्ग गज में होने के कारण पटवारी ने नामांतरण दर्ज नहीं किया। दौरान भू- रूपांतरण कार्यवाही वादी ने जो. वि. प्रा. में आपत्ति दर्ज करवाई। प्रति. सं. 02 व 03 ने सिविल न्यायालय में एक प्रा. पत्र अंतर्गत 07 R11 पेश किया, जिसका निस्तारण करते हुए सिविल न्यायालय ने उक्त भूमि को कृषि भूमि माना। जिस समय वाद हेतुक उत्पन्न हुआ, उक्त भूमि की प्रकृति कृषि थी। अतः राजस्व न्यायालय को वाद श्रवण का क्षेत्राधिकार

Number of Case ..... Year .....

..... Versus .....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order

प्राप्त है। वादी की भूमि आम सड़क हेतु अधिग्रहीत नहीं की गई है और ना ही वादी ने इस हेतु किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त किया है। वादी द्वारा प्रति. सं. 01 से खरीदशुदा कृषि भूमि, प्रति. सं. 01 ने पुनः प्रति. सं. 02 व 03 को बेचान कर दी, जिसे वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः प्रा-पत्र खारिज फरमाया जावे।"

आदेश

उपरोक्त तथ्यों, बहस, दस्तावेजों के आधार पर प्रति सं. 02 व 03 की ओर से 07 R11 के तहत दाखिल प्रा-पत्र का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है:-

"As per section 188 of Rajasthan Tenancy Act - Any tenant whose right to whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded may bring a suit for grant of perpetual injunction." According to this section, application under 07 R11, CPC is being accepted & suit is dismissed as Plaintiff is not a tenant of disputed land nor he has filed any case for declaration of right". पत्रावली में आदेश पढ़कर खुले में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Presiding